न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/20/2018

1. भंवरलाल पुत्र नन्दकिशोर जाति महाजन निवासी 5, देवीपथ, कानोता बाग, जयपुर।

–वादी

बनाम

1. बद्री (मृतक दौराने दावा)
   1/1 घनश्याम पुत्र स्व0 बद्री
   1/2 कजोडी पुत्री स्व0 बद्री
2. गोपाल (मृतक दौराने दावा)
   2/1 कानूराम पुत्र स्व0 गोपाल
   2/2 हरिनारायण पुत्र स्व0 गोपाल
   2/3 नन्दाराम पुत्र स्व0 गोपाल
   2/4 प्रभाती पुत्री स्व0 गोपाल
   2/5 सन्ती पुत्री स्व0 गोपाल
   2/6 बसन्ती पुत्री स्व0 गोपाल
   समस्त निवासीयान ग्राम लखेसरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित : 1. श्री श्याम लाल अग्रवाल – अधिवक्ता वादी

2. अनुपस्थित – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

निर्णय **दिनांक: 17.10.2022**

प्रकरण माननीय उपखण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय) से क्षेत्राधिकार में परिवर्तन होने के कारण स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय में दिनांक 25.04.18 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जैरकार कार्यवाही की गई।

वादी की ओर से दावा इस आशय के साथ [illegible] गया कि वादी सखसरा नंबर 7 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 15 रकबा 6 [illegible] 11 बिस्वा, 17 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 18 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा [illegible] बीघा 17 बिस्वा वाकै ग्राम लखेसरा तहसील सांगानेर का एक मात्र का[illegible] खातेदार काश्तकार है व लगान सरकारी अदा करता है। प्रतिवादीगण का

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:38:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

उक्त आराजीयात में कोई हक व हिस्सा या क्लेम नहीं रहा है। वादी जयपुर रहता है प्रतिवादीगण आये दिन वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत करते है व धमकी देते है कि वादी की काश्त को उथेल कर स्वंय कब्जा करेगें। प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है कि वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मजाहमत करें इसलिए वादी को पूर्ण अधिकार हासिल है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करावे कि वादी की आराजीयात में किसी भाग पर कब्जा नही करे तथा न ही उपयोग उपभोग में बाधा डाले।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि दावे के बिन्दु स्वीकार नहीं है अतिरिक्त कथन में कहा है कि भूमि खसरा नंबर 7 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा पर सदैव से प्रतिवादीगण काबिज है तथा बहैसियत काश्तकार काश्त करते आ रहे है। वादी का कभी कोई अधिकार व कब्जा विवादग्रस्त भूमि से रहा है न है। वादी काश्तकार पेशा कतई नही है अगर उसने कारकूनान से मिलकर कोई गलत इन्द्राज राजस्व अभिलेख में करा लिया तो बमुकाबले वादी गलत व प्रभावहीन है। विवादग्रस्त भूमि पूर्व में रूघनाथ वल्द रामनारायण ब्राहम्ण हरि ओम प्रकाश भार्गव की थी वादी का विवादग्रस्त भूमि से कोई कोई वास्त नही था न है सदैव से भूमि खसरा नंबर 7 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा पर मिन प्रतिवादी ही काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावा वादी खारिज किया जावे व मिन प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में मिन प्रतिवादी का नाम अंकित किया जावें।

वादी ने काउन्टर क्लेम प्रतिवादी का जवाब प्रस्तुत कर अस्वीकार करते हुये काउन्टर क्लेम प्रा0पत्र मय खर्चा खारिज करने हेतु निवेदन किया।

वाद में निम्नांकित तनकीयात काय की गई :–

1. आया प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम के अनुसार खसरा नंबर 7 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है? .... **जिम्मे प्रतिवादी**
2. आया वादी विवादग्रस्त आराजीयात के मालिक प्रतिवादी को प्रतिबन्धित कराने के अधिकारी है?........ **जिम्मे वादी**
3. **दादरसी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:38:06 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय तनकी नंबर 1 :– इस तनकी को साबित करने का दायित्व प्रतिवादी का है। बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता वादी ने तर्क दिया कि वादी

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

आराजीयात खसरा नंबर 7, 15, 16, 17, 18 किता 5 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा वाकै ग्राम लखेसरा का एक मात्र काबिज खातेदार काश्तकार है व लगान सरकारी अदा करता है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध नही है वादी जयपुर रहता है इसलिए प्रतिवादीगण आये दिन कब्जे काश्त में मजाहमत करते है इसलिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

योग्य अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये। दावे को अस्वीकार किया तथा आराजी खसरा नंबर 7 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा पर सदैव से प्रतिवादीगण का कब्जा होना बताया। उक्त भूमि पर वादी का कोई कब्जा न कभी रहा है न है। वादी ने राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि का इन्द्राज अपने नाम गलत करा लिया। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण ही काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाकर मिन प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर खातेदारी प्रदान की जावें। अपने तर्को के समर्थन में नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2008 से 2012, 2015 से 2034 तथा बयान डीडब्ल्यू–1 व डीडब्ल्यू–2 तथा एआईआर 1982, 1977, आरआरडी 1988 पेज 256, आरआरडी 1992 पेज 193 का ध्यान दिलाया।

योग्य अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया एवं दस्तावेजों व प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया। वादी ने अपने कब्जे के संबंध में जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 एवं पत्थरगढी रिपोर्ट दिनांक 17.03.87 के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये जिससे वादी का कब्जा साबित हो सके। इसलिए इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी खिलाफ वादी किया जाता है।

तनकी नं. 2 :– इस तनकी को साबित करने का दायित्व वादी पर है। बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता वादी ने बहस में कहा कि वादी ग्राम लखेसरा स्थित आराजी खसरा नंबर 7, 15, 16, 17 व 18 का एक मात्र काबिज खातेदार काश्तकार है प्रतिवादीगण का उक्त आराजीयात से कोई हक व संबंध नही है फिर भी प्रतिवादीगण आये दिन वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत करते है अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद [illegible]। अपने तर्को के समर्थन में जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 की ओर [illegible]।

योग्य अभिभाषक प्रति[illegible] करते हुये आराजी खसरा नंबर 7 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा पर प्रतिवादीगण का कब्जा होना बताया तथा कहा कि वादी ने राजस्व अभिलेख में गलत इन्द्राज कर लिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:38:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

इसलिए प्रतिवादी को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकन किया जावें।

चूंकि दावे में उपरोक्त अनुसार तनकीवार निर्णय किया जा चुका है अतः प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम दावा को दिनांक 24.09.1997 को स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नंबर 7 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा वाकै ग्राम लखेसरा तहसील सांगानेर का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया।

उक्त निर्णय के विरूद्व वादी ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष दिनांक 23.05.2005 को अपील पेश की। माननीय न्यायालय ने प्रस्तुत अपील को मियाद बाहार मानते हुये दिनांक 20.09.2011 को खारिज फरमा दिया। उक्त अपील के विरूद्व वादी ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय में अपील निर्णय दिनांक 20.09.2011 व न्यायालय हाजा द्वारा पारित पूर्व निर्णय दिनांक 29.06.2006 को निरस्त कर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रेषित की कि धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रकरण के गुणावगुण पर विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय की अनुपालना में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपील संख्या 449/2011/223 आर.टी.एक्ट. में वादी की अपील दिनांक 21.02.2012 को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.09.97 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्लीडिंग्स के आधार पर आवश्यक तनकीयात दोनों की उपस्थिति में पुनः कायम की जाकर तथा पक्षकारान को पुनः साक्ष्य, सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

माननीय न्यायालय की अनुपालना में दावा पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दौराने दावा फौत होने पर अधिवक्ता वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के का0मु0 को रिकॉर्ड पर लेने हेतु विधिक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया जाकर वारिसान को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1/1 व 2/1 ता 2/3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। वारिसान की विधिक प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाया गया। प्रतिवादी संख्या 1/2 व 2/4 ता 2/6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विचाराधीन वाद में प्रतिवादी संख्या 1/1 व 2/1

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 16:38:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ता 2/3 अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली में तनकीयात कायम की जाकर वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। वादी द्वारा स्वयं को साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने पर उनकी साक्ष्य का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत की गई। वाद में वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई।

बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद का तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :-

तनकी नंबर 1 : आया वादी वादग्रस्त आराजीयात का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है?

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था वादी ने अपने तनकी को साबित करने हेतु प्रदर्श-1 जमाबंदी प्रस्तुत की है जिसमें वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 7, 15, 16, 17, 18 कुल किता 5 कुल रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा का खातेदार काश्तकार वादी है। तथा प्रदर्श-2 पत्थरगडी रिपोर्ट दिनांक 12.03.87 से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादी द्वारा पत्थरगढी करवाई गई है उक्त पत्थरगढी की ना तो किसी ने आपत्ति प्रस्तुत की है ना ही कोई अपील प्रस्तुत की है जिससे माना जा सकता है कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादी का कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अपने काउन्टर क्लेम को साबित करना था कि वह वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 7 पर काबिज काश्त है। या वादग्रस्त आराजी प्रारम्भ से उनकी खातेदारी की आराजीयात रही है। लेकिन प्रतिवादीगण ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी की अनुपालना में ना तो वाद में पुनः कार्यवाही में साक्ष्य प्रस्तुत की है ना ही उपस्थित है। ऐसे में उक्त तनकी वादी के पक्ष में व विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 2 :- आया वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण की खातेदारी की है जिसे प्रतिवादीगण दुरूस्त करवाकर अपने नाम घोषणा करवाने के अधिकारी है?

उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था लेकिन प्रतिवादीगण ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी की अनुपालना में ना तो वाद में पुनः कार्यवाही में साक्ष्य प्रस्तुत की है ना ही उपस्थित है। तनकी नंबर 2 खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मुताबिक पारित निर्णय अनुसार वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 7, 15, 16, 17, 18 कुल किता 5 कुल रकबा

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally Signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:38:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

14 बीघा 17 बिस्वा वाकै ग्राम लखेसरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार वादी है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की आराजीयात में दखलअंदाजी कर रहे है। ऐसे में प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाना उचित समझते है। तथा तनकी नंबर 2 के निर्णय अनुसार प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम को खारिज किया जाता है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 7, 15, 16, 17, 18 कुल किता 5 कुल रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा वाकै ग्राम लखेसरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में वादी के कब्जे–काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी मजाहमत नही करें, उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नही करें। इस आशय की डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वि[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:38:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम जयपुर ब इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)**

भंवरलाल

बनाम

ब्रदी वगै.

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

मुकदमा नम्बर – दावा/20/2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 7, 15, 16, 17, 18 कुल किता 5 कुल रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा वाकै ग्राम लखेसरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में वादी के कब्जे–काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी मजाहमत नही करें, उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नही करें। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकद्में में मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.10.2022 को जारी की मुहर

दस्तखत .... सहायक कलक्टर

ओहदा .... जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 16:38:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner